

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
नगरपालिका स्वगन प्रा० पत्र-72/2003
लीलाधर बनाम हरीराज वगैरे
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व त अहकाम जो हुकम की त में जारी हुए |
|---------------|---|--|
| 29/1/19 | वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक/युनाव कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30/1/19 को पेश हो। <i>(Signature)</i> | |
| 30/5/19 | वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक (युमण कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 31/7/19 को पेश हो। <i>(Signature)</i> | |
| 4/7/19 | वकुलाय उपस्थित। श्रीमान पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/8/19 को पेश हो। <i>(Signature)</i> | |
| 8.8.19 | <p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर 90बी-20/06 ताराचंद बनाम नगरपालिका नागौर के क्रम में इस प्रकरण की मूल निगरानी पत्रावली संख्या 76/2003 लीलाधर बनाम हरीराम वगैरे में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.10.2006 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 390 दिनांक 03.02.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है और यह स्थगन पत्रावली उक्त मूल पत्रावली संख्या 76/2003 के इन्तजार में इस न्यायालय में विचाराधीन है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग) (8)नियम/डी.एल.बी./15/5843- 6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यह स्थगन पत्रावली भी श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावें। पत्रावली इस न्यायालय से फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर</p> | |